

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1309 / 2007 / हनुमानगढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, हनुमानगढ़ जं०.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हरियाणा भूमि सुधार एण्ड विकास निगम समिति,
हनुमानगढ़ जं०.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ.

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21 / 4 / 2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 282/प्रवेश कर/हनुमानगढ़/05.06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.12.06 के विरुद्ध राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टू लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 7.10.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 7.10.2005 को रतनपुर वाणिज्यिक कर चैकपोस्ट पर वाहन संख्या एच.आर.67 / 1040 को चैक किये जाने पर वाहन में 87,500 पीस एच.डी.पी.ई.बैक्स (पैकिंग मैटेरियल) समालखा, पानीपत (हरियाणा) से हनुमानगढ़ आयात किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित टैक्स इन्चॉयस संख्या निल दिनांक 6.10.2005, बिल्टी संख्या 220 दिनांक 6.10.2005 एवं प्रपत्र वैट D3 (चालान आउटवार्ड) संख्या 0472935 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रपत्र वैट D3 पर प्रत्यर्थी के TIN अंकित नहीं है, अतः TIN प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि प्रत्यर्थी हरियाणा सरकार की इकाई है। उनके द्वारा किसानों की जमीनें सुधारने एवं पैदावार बढ़ाने हेतु हरियाणा के किसानों को जिप्सम उपलब्ध करवाया जाता है। जिप्सम राजस्थान राज्य में

लगातार.....2

आर.एस.एम.एम.लिमिटेड से क्रय की जाती है, तथा पैकिंग के लिये एच.डी.पी.ई. बैग्स उनके द्वारा ही उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा आयातित माल का क्रय-विक्रय नहीं किया गया है। सक्षम अधिकारी ने लगातार माल आयात किये जाने के कारण प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन का दायित्व एवं माल परिवहन में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, धारा 31(6) के तहत माल कीमतन रूपये 6,14,250/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 1,84,275/- का आरोपण आदेश दिनांक 7.10.2005 से किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2006 से स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप यह अपील राजस्व द्वारा मय देरी माफी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य में एच.डी.पी.ई. बैग्स का लगातार आयात किया जाता है, जिस पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन एवं प्रवेश कर अदा किये जाने का दायित्व बनता है। प्रत्यर्थी द्वारा ना तो प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है एवं ना ही प्रवेश कर अदा किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा विवादित माल परिवहन में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण, धारा 31(6) के तहत शास्ति का दायित्व बनता है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को विचारित किये बिना प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर देरी माफी प्रार्थना-पत्र में वर्णित सद्भावी कारणों के आधार पर अपील समय भीतर मानते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी इकाई हरियाणा सरकार की इकाई है, जिसके द्वारा किसानों के सहायतार्थ जिप्सम उपलब्ध करवाया जाता है एवं जिप्सम की सप्लाई हेतु एच.डी.पी.ई. बैग्स हरियाणा राज्य से आयात कर राजस्थान राज्य में आर.एस.एम.एम.लि. को पैकिंग मैटेरियल के रूप में दिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल का क्रय/विक्रय का व्यवसाय नहीं किया जाता है। अतः आयातित माल प्रत्यर्थी ने



लगातार.....3

स्वयं के उपयोग हेतु आयात किया जाता है, जिसके परिवहन के लिये प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन करवाया जाना आवश्यक नहीं है। सक्षम अधिकारी ने बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी का प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन का दायित्व मानते हुए, पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर धारा 31(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को सुविचारित करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अग्रिम कथन किया कि दस्तावेजों पर पंजीयन क्रम संख्या अंकित नहीं होने के आधार पर अधिनियम की धारा 31(4) के तहत शास्ति आरोपणीय नहीं है, जैसा कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (2002) 1 आर.टी.आर. 126 (एकलपीठ) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर बनाम श्री माणक इण्डस्ट्रीज प्रतापगढ़ में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मात्र प्रेषिति के सी.एस. टी. नम्बर बिल में अंकित नहीं होने से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती, न ही बिल को कूटरचित या मिथ्या माना जा सकता है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा देरी माफी प्रार्थना-पत्र में कोई स्वीकारणीय कारण भी अंकित नहीं किया गया है। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड के निर्णय (2003) 6 टैक्स अपडेट 228 व (2003) 2 आर.टी.आर. 290 को उद्धरित किया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील आधारों के साथ देरी माफी आवेदन में वर्णित कारणों को समुचित मानते हुए देरी माफी स्वीकार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में एकमात्र विवादित बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करने के आधार पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) का उल्लंघन माना जा सकता है तथा उपधारा (6) के तहत शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) उद्धरित करना समीचीन होगा -

31(2) The driver or the person incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall -


- (a) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", bills of sale or dispatch memos and prescribed declaration forms;

लगातार.....4

सक्षम अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि व्यवहारी द्वारा आयातित माल एच.डी.पी.ई. बैग्स से सम्बन्धित टैक्स इन्वॉयस चालान आउटवार्ड प्रपत्र डी-3 (हरियाणा राज्य) व बिल्टी वक्त जांच उपलब्ध थे। दस्तावेज के अनुसार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) का उल्लंघन नहीं होता है। सक्षम अधिकारी के प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं लेने व नियमित रूप से प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर योग्य माल का आयात कर करापवंचन के आधार पर संब्यवहार में धारा 31(2)(ए) का उल्लंघन माना है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार कर शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की शास्ति अपास्त पर पुष्टि की जाती है। सक्षम अधिकारी यदि प्रवेश कर के अपवंचन का प्रकरण मानते हैं तो प्रवेश कर अधिनियम के तहत विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकते थे।

परिणामस्वरूप, उक्त विवेचन अनुसार अपील राजस्व अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे/आर. लोहिया)
सदस्य
21/5/17